

मांग संख्या 46
मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1

माननीय चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश रायपुर के प्रकोष्ठ क्र. 6023/21 प्रकरण क्र. 01/2019 के तहत इन्द्रप्रस्थ प्रा.लि. के पक्ष में जारी वारंट दिनांक 16.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में डिक्रीधन भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से ₹223.26898 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 2,23,26,898 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।